

प्रेस नोट संख्या 45

दिनांक 27.08.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा, चोरी के ग़ोसरी के सामान के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु क्षेत्र में मौजूद थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की कस्बा मुसाफिरखाना में दुकान में हुई चोरी से संबंधित व्यक्ति चोरी के सामान के साथ लखनऊ-सुलतानपुर हाइवे पटई पुरवा तिराहे पर मौजूद है । उक्त सूचना पर मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम भानू सरोज पुत्र बुद्धू सरोज निवासी ग्राम टांडा थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र 21 वर्ष बताया, तलाशी से कब्जे से 130 रुपये बरामद हुए तथा उसके कब्जे से बरामद एक बोरी व झोले की तलाशी लेने पर 01 अदद तीन सरसो का तेल, 01 अदद तीन रिफाइन्ड, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि सामान बरामद हुआ । बरामद सामान के संबंध में बताया कि उसने अपने साथी मोनू सरोज व शानू सरोज पुत्रगण गोवर्धन सरोज निवासीगण भनौली थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के साथ मिलकर दिनांक 27/28.06.2025 की रात्रि में अरविन्द कुमार की दुकान से तेल, रिफाइन्ड, मूंगफली आदि चोरी किया था तथा दिनांक 25.07.2025 की रात्रि में शिवशंकर की दुकान से पान मसाला, सिगरेट, गुटखा चोरी किया था । दोनों चोरियों से मिले सामान को आपस में बांट लिया था । कुछ सामान बेच दिया था, बरामद रुपये उसी बिक्री के बचे हुए रुपये हैं । बरामदी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- भानू सरोज पुत्र बुद्धू सरोज निवासी ग्राम टांडा थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र 21 वर्ष ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 196/25 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 177/25 धारा 305(A), 317(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- पर 01 अदद तीन सरसो का तेल, 01 अदद तीन रिफाइन्ड, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि ।
- चोरी की सामान बिक्री के 130 रुपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 राजेश श्रीवास्तव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 मो0 जावेद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. का0 पुनीत खोखर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 364/22 धारा 380,411,457 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।